<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर</u>

<u>श्रीमती अन्नपूर्णा गुप्ता, लेखा सदस्य तथा</u>
<u>श्री परेश एम.जोशी, न्यायिक सदस्य के समक्ष</u>

<u>आ.अ.सं.497/इंदौर/2024</u>
<u>निर्धारण वर्ष : 2015-16</u>

आशीष अग्रवाल 4थी मंजिल, बी.एम.टॉवर जीनामाता मंदिर के सामने, दौलतगंज, ग्वालियर (म.प्र)	बनाम	आयकर अधिकारी-2(4), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एडीझेडपीए 3498 ई PAN- ADZPA3498E		

अपीलार्थी की ओर से	कोई नहीं (लिखित आवेदन)
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	21.04.2025
उद्घोषणा तिथि	22.04.2025

<u>आदेश</u>

<u>श्री परेश एम.जोशी, न्यायिक सदस्य द्वारा</u>

निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, दिल्ली के आदेश दिनांक 24.04.2024 के विरूद्ध निदेशित, है जो कि आयकर अधिकारी, वार्ड 2(4), भोपाल के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन आदेश दिनांक 18.12.2017 से उद्भूत है ।

2. इस अपील के संबंध में निर्धारिती द्वारा लिखित निवेदन दिनांक 15.04.2025 दाखिल किया गया है जिसमें निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने "**प्रत्यक्ष कर विवाद से**

विश्वास योजना, 2024" के अधीन आवेदन किया है तथा फार्म सं. 1 के द्‌वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किया है । निर्धारिती ने फार्म सं. 1 की प्रति दाखिल की है । उक्त आवेदन से यह प्रतीत होता है कि चूंकि निर्धारिती ने **प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024** के अधीन आवेदन किया है, अतः वह वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । अतः हम निर्धारिती की इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्‌यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्‌वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 22.04.2025 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्‌घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(अन्नपूर्णा गुप्ता)	(परेश एम.जोशी)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 22.04.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल